Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

1. निजता का अधिकार जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं यह अधिकार सरकार की लोगों तक कुछ सेवाओं की पहुँच एवं सुरक्षा प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

Right to privacy is important for the independence and dignified life of individual whereas, this right can create hurdles in providing security and in reaching of some services provided by the government to the people. Examine this statement. (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में निजता के अधिकार के बारे में बताइए तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लेख कीजिए।
- अगले पैरा में यह बताइए कि कैसे यह व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है?
- फिर अगले पैरा में बताइए कि कैसे यह सुरक्षा तथा कुछ सेवाओं में बाधा पहुँचा सकता है?
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर– निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वंत्रता के अधिकार का मूल हिस्सा है। यह संविधान के भाग-3 के तहत प्रदत्त आजादी का ही हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधानिक खण्डपीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद में सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए 'निजता के अधिकार' को अनुच्छेद-21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग-अलग करके नहीं, बल्कि एक समग्र रूप में देखा जाना चाहिए।

महत्व :

- निजता का अधिकार है, जो किसी व्यक्ति की स्वायतता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है।
- निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है, जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है।
- यह हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हैसियत से अवगत कराता है।
- अब राज्य लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने लगे तो यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठा कि जिस गरिमा के भाव के साथ जीने का आनन्द लोकतंत्र के माध्यम से मिला है। उसे निजता के हनन द्वारा छिना क्यों जा रहा है?

निजता के अधिकार की आवश्यकता क्यों?

- भारत में तीव्र डिजिटलीकरण से ID चोरी, धोखाधड़ी, गलत बयानबाजी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- नागरिकों से एकत्रित कम्प्यूटरीकृत डाटा का उपयोग कर आईटी प्लेटफार्म के माध्यम से कल्याणकारी सुविधा प्रदान करना।
- भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा संग्रह : बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनिया सुरक्षा प्रक्रियाओं के बिना ही लाखों भारतीयों से संबंधित डेटा को विदेश लेकर जा रही हैं।
- इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या : भारत में लगभग 400 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो डेटा के सृजन, संचरण, उपभोग और भंडारण की प्रक्रिया में संलग्न हैं।

बाधाएं–

- राज्यों द्वारा अपनी संस्थाओं के दुरूपयोग पर रोक लगेगी।
- इसमें नागरिकों की सुरक्षा के वृहद स्तर पर निगरानी की व्यवस्था में बाधा, जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगों तक पहुँच के लिए पर्याप्त डाटा प्राप्त करने में बाधा।
- सूचना के अधिकार तथा निजता के अधिकार के मध्य विवाद आदि को लिखें।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

2. अनुच्छेद-35A क्या है? हाल ही में यह क्यों विवादित मुद्दा बना? इसे हटाने के संदर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत करें।

(250 शब्द, 15 अंक)

What is article-35A? Why it became a disputed issue? Present your rationality in removing it.

(250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में अनुच्छेद-35A को बताएं।
- अगले पैरा में बताएं कि आखिर यह क्यों विवादित मुद्दा बना?
- फिर अगले पैरा में अपने तर्क प्रस्तुत करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- संविधान के अनुच्छेद-370(1)(D) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1954 में अनुच्छेद-35A को संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद-35A राज्य के 'स्थायी निवासियों' और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानमण्डल को शक्ति प्रदान करता है। साथ ही इस शक्ति को समानता का अधिकार या संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

संविधान में इसे अनुच्छेद-368 के तहत निर्धारित संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। इसे शामिल करने हेतु संसद के कानून बनाने के वैधानिक मार्ग का अनुसरण नहीं किया गया था। जहां तक सरकारी नौकरी और भूमि खरीद का संबंध है, गैर निवासियों के खिलाफ यह भेदभावपूर्ण कदम है। इस प्रकार यह अनुच्छेद-14, 19 और 21 के तहत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

अनुच्छेद-35A को खत्म करने के पक्ष में-

- यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सीमित करता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नगण्य तो करता है, साथ ही नैसर्गिक अधिकारों के प्रति भी विरोधाभासी चरित्र वाला है।
- विधि का समान संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु संविधान लिखित आश्वासन (अनुच्छेद-14) भी प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद-35A भारत में दोहरी विधिक-व्यवस्था का निर्माण करता है।
- अनुच्छेद-35A के संविधान में समाविष्ट की प्रक्रिया ही पूर्णत: असंवैधानिक है। संविधान में एक भी शब्द जोड़ने या घटाने की शक्ति संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

3. भारत में दल-बदल कानून को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुचारू रूप से पालन के लिए लाया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके क्रियान्वयन में कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। उपर्युक्त कथन के संदर्भ में दल-बदल कानून का परिचय देते हुए वर्तमान समस्याओं की समीक्षा कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक)

Anti-Defection Law was brought in India to actively follow the democratic process, but some behavioral problems have emerged in its implemention in last few years. Examine the present problems with informing about the anti-defection law with regards to the above statements. (150 World, 10 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में दल-बदल विरोधी कानून को बताएं।
- अगले पैरा में इसकी समस्याओं को बताएं।
- फिर अगले पैरा में प्रमुख समाधानों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- दल-बदल विरोधी कानून, 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था। 52वें संविधान के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके तहत दल-बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यदि कोई सांसद या विधायक स्वैच्छिक रूप से त्याग-पत्र देता है या पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार कोई मनोनीत सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, वह 6 माह के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो सकता है, इस अवधि के बाद, वे किसी पार्टी के सदस्य या निर्दलीय सदस्य के रूप में माने जायेंगे।

किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामले में अध्यक्ष के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है, जो कि इस कानून से बचाव का मुख्य रास्ता है। इस कानून के अनुसार पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है और न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि, अंतिम निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाल ही में देखा जा रहा है, कि विधायक अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक पार्टी से किसी अन्य में जा रहे हैं।

समस्याऐं-

- जनता की वास्तविक आवाज का ना सुना जाना।
- पार्टी राज को बढ़ावा देना।
- संवाद की संस्कृति का अंत होना।

समाधान-

- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित और उचित समय सीमा निर्धारित करने की जरूरत है।
- सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न को सुलझाने की शक्ति अध्यक्ष से लेकर किसी अन्य संवैधानिक निकाय जैसे भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी जा सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 के किहोतो होलोन मामले में यह आदेश दिया कि पार्टी को केवल सरकार की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण स्थिति में ही मत हेतु निर्देश जारी करना चाहिए।

* * *

GS World Committed To Excellence

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

4. स्पॉइल्स सिस्टम क्या है? यह प्रशासनिक दक्षता को कैसे प्रभावित करता है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'स्पॉइल्स सिस्टम' से बचने के लिए एवं प्रशासनिक भर्ती के लिए कौन-कौन से सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए? (250 शब्द, 15 अंक)

What is Spoils System? How does it affect the administrative efficiency? Which of the principles Second Administrative Reforms Commission should follow for the administrative recruitment and to get round spoils system? (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में 'स्पॉइल्स सिस्टम' को बताएं।
- अगले पैरा में 'स्पाइल्स सिस्टम' की रोकथाम के लिए प्रशासनिक भर्ती में कौन-से सिद्धातों का पालन किया है? स्पष्ट करें
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- स्पॉइल्स सिस्टम को पैट्रांनेज सिस्टम भी कहा जाता है। इसके तहत एक विजयी राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करके या दूसरे तरह से पक्ष लेकर प्रतिफल देती है। विगत कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में की गई 11 नियुक्तियों पर मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

इस सिस्टम को हटाने के लिए उठाए गए कदम-

- अनुच्छेद-320 के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों की स्थापना तथा इन्हें नागरिक सेवाओं के लिए मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए आवश्यक सेवा नियमों और शर्तों को व्यवस्थित करने का अधिकार दिया है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 'स्पॉइल्स सिस्टम' से बचने के लिए प्रशासनिक भर्ती के कुछ विशिष्ट प्रावधान-

- सभी सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए सुपरिभाषित गुणवत्ता आधारित प्रक्रिया।
- सभी पदों पर भर्ती के लिए व्यापक प्रचार और खुली प्रतियोगिता।
- भर्ती प्रक्रिया में विवेकाधिकार का न्यूनतम प्रयोग।
- मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के आधार पर या मौजूदा बोर्ड विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयन, साक्षात्कार को न्यून महत्व दिया गया।

* * *

GS World Committed To Excellence

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

5. ''राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (NCA) का गठन न्याय व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन जिसके वास्तविकता में परिणत होने के मार्ग में असंख्य व्यवहारिक समस्याएँ विद्यमान हैं।'' इस कथन के संदर्भ में NCA की आवश्यकता एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

"Establishment of National Court of Appeal (NCA) will be a very big transformation in the Judicial System but, many innumerable practical obstacles are present in the path of it becoming a reality." Discuss the importance and limits of NCA regarding this statement. (250 Words, 15 Marks)

MODEL ANSWER

मुख्य बिन्दु

- भूमिका में राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय (NCA) को लिखें।
- अगले पैरा में इसकी आवश्यकताओं को बताएं।
- फिर अगले पैरा में इसकी प्रमुख सीमाओं को स्पष्ट करें।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

उत्तर- उच्च न्यायालयों तथा सिविल, अपराधिक, श्रम और राजस्व विषयों से संबंधित न्यायाधिकरणों के द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों के विरूद्ध की जाने वाली अपील के संबंध में अंतिम न्यायालय के रूप में राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय का गठन किया जाना प्रस्तावित है। चेन्नई, मुम्बई और कोलकाता में इसकी क्षेत्रीय पीठें स्थापित की जाएगी।

निचली अदालतों से काफी बड़ी संख्या में होने वाली अपीलों के कारण सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों पर निर्णय करने और संविधान के निर्वाचन के अपने प्राथमिक कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है। संवैधानिक पीठों द्वारा निर्णीत वादों की संख्या में भारी गिरावट आई है, 1950 के दशक में यह कुल निर्णीत वादों की संख्या का लगभग 15% थी। वहीं पिछले दशक के दौरान यह गिरकर मात्र 0.12% रह गई। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। दिल्ली में अवस्थित होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय विशेषकर गरीबों और उत्तर-पूर्वी जैसे सुदूर स्थानों में रहने वाले लोगों के लिए सुलभ नहीं है।

राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय की शक्तियां और विशेषताएं मूलत: शीर्ष न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और विशेषताएं ही हैं। NCA के अंतर्गत SLP (स्पेशल लीव पिटिशन या विशेष अनुमति याचिका) के अविवेकपूर्ण प्रयोग के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं है। यह निश्चित रूप से भारत की कानूनी व्यवस्था में SLP की भूमिका व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित कानून के प्रश्नों के निर्णयन से संबंधित है।

विशेषज्ञों का मानना है कि निचली अदालतों के काम-काज में सुधार लाने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों की अपील संबंधी संरचना में सुधार।

* * *

Skill Development Programme

For Answer Writing

Polity (Model Answer)

DATE : 10-May-2018 **TIME : 11:00 am**

मुख्य परीक्षा

6. **संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत क्यों अनिवार्य है? व्याख्या कीजिए।**

(150 शब्द, 10 अंक)

Why special majority is required for constitutional amendment? Explain.

(150 Words, 10 Marks)

MODEL ANSWER

उत्तर- **भूमिका :** जिस प्रकार समाज की आवश्यकताओं की अनुसार शिक्षा पद्धति बदलती है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन होता है वैसे ही विधियों और संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद-368 के तहत अपनायी गई है, जिसे प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 और कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक)। विशेष सुरक्षित उपबंधों की दशा में विधेयक का कम-से-कम आधे राज्य विधान मण्डलों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

- संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुरः स्थापित किया जा सकता है।

अगले पैरा में : संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत को क्यों अनिवार्य बनाया गया?

हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे, संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सके, लेकिन साथ ही इतना कठोर भी होना चाहिए कि इसे अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलावों से बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थे, यहाँ लचीले का अर्थ है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया से है। भारतीय संविधान में इन दोनों तत्वों का समावेश किया गया है।

- संविधान की गरिमा एवं मौलिकता को बनाए रखने के लिए
- सत्ताधारी दल की तानाशाही पर अंकुश लगाने के लिए
- मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए

अंत में संक्षिप्त व संतुलित निष्कर्ष दें।

* * *

GS World Committed To Excellence